राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री कालीचरण सराफ, उच्च शिक्षा मंत्री, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

(III) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, आउटपुट बजट वर्ष 2014-2015 एवं आउटकम बजट वर्ष 2015-2016 तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड़ का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, ग्राम लालाहेड़ा, तहसील-सांगोद में 33 केवीजीएसएस स्वीकृत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(II) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की पंचायतों में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को भरने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(III) श्री बाबू सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में स्वीकृत 33/11 केवी सब-स्टेशनों के लम्बित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(IV) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य, विधान सभा, बिश्नोई समाज के लिये जयपुर में पर्यावरण संस्थान हेतु भूमि का आवंटन करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

(V) डॉ0 मंजू बाघमार, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नये ट्यूबवैल खुदवाने की स्वीकृति जारी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

(VI) श्री संदीप शर्मा, सदस्य, विधान सभा, कोटा शहर में पेयजल आपूर्ति के लिये नया फिल्टर प्लान्ट एवं इन्टेक बेल की स्थापना करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VII) श्री ओमप्रकाश, सदस्य, विधान सभा, जिला दौसा के महवा कस्बे को नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(VIII) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(IX) श्री कैलाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा, नगर निगम, जयपुर के वार्ड संख्या-45 के सिद्धार्थ नगर-एच ब्लॉक में सुविधा क्षेत्र के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि आवंटन करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017

प्रथम अवस्था

अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 09 मार्च, 2016